उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग

निकट–महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, थानों रोड़, रायपुर, देहरादून।

वेबसाइट–www.sssc.uk.gov.in mail: chayanayog@gmail.com

फोन न० 0135–2669658 फैक्स न0 0135–2672902

पत्रांक–परीक्षा/[illegible]04/2024–25 दिनांकः– 04 अप्रैल, 2024

।।विज्ञप्ति।।

उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा पशुधन प्रसार अधिकारी (सीधी एवं विभागीय भर्ती) (पद कोड–343/646/51/2024) एवं अधिदर्शक/प्रदर्शक (रेशम) (पद कोड– 022/658/51/2024) तथा निरीक्षक रेशम (पद कोड–331/658/51/2024) की लिखित प्रतियोगी परीक्षा दिनांक 11 फरवरी, 2024 को आयोजित की गई।

उक्त लिखित परीक्षा के आधार पर (पद कोड 343/646/51/2024, 022/658/51/2024, 331/658/51/2024) आयोग की विज्ञप्ति दिनांक 01 अप्रैल, 2024 के द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेख सत्यापन हेतु जारी औपबंधिक श्रेष्ठता सूची के अनुसार **दिनांक 08 अप्रैल, 2024 से 10 अप्रैल, 2024 तक अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन किया जाना निर्धारित है।**

सूच्य है कि उक्त भर्ती परीक्षा में विभिन्न विभागों व पदों हेतु अभ्यर्थियों द्वारा स्वेच्छानुसार अपनी वरीयता/विकल्प भरा जाना है।अभ्यर्थियों को विकल्प/वरीयता भरने हेतु आयोग द्वारा अधिकृत वेबसाइट पर लिंक **postchoice.ukssscecf.in** दिया जा रहा है। अतः समस्त चयनित अभ्यर्थियों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है किः–

1. चयनित अभ्यर्थी को आयोग की वेबसाइट पर दिए गए लिंक के माध्यम से अपनी ऑनलाईन वरीयता भरना अनिवार्य है।
2. चयनित अभ्यर्थी विकल्प भरने हेतु यूजर आई0डी0 अभ्यर्थी का अनुक्रमांक एवं पासवर्ड जन्म तिथि होगी
3. चयनित अभ्यर्थी को उनके द्वारा विभागवार ऑनलाईन भरे गए विकल्पों को सबमिट करने के बाद दो प्रतियों में प्रिंट निकालना है।
4. अभिलेख सत्यापन की तिथि को अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन भरे गए विकल्प की एक प्रति निकालकर उसको स्वःहस्ताक्षरित करते हुए आयोग कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
5. अभ्यर्थी ध्यान रखे कि उक्त परीक्षा में विभाग एवं पदों की वरीयता हेतु विकल्पों को पूर्णतयाः समझने एवं विचार करने के बाद ही अपनी वरीयता अंकित करें। विकल्प एक बार सबमिट होने के बाद किसी भी दशा में संशोधित किया जाना संभव नहीं होगा।

(सुरेन्द्र सिंह रावत)

सचिव

उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग

निकट–महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, थानों रोड़, रायपुर, देहरादून।

वेबसाइट–www.sssc.uk.gov.in mail: chayanayog@gmail.com

फोनन० 0135–2669658 फैक्स न0 0135–2672902

पत्रांक–परीक्षा/ 01 /2024–25 दिनांकः– 01 अप्रैल, 2024

विज्ञप्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा **पशुपालन विभाग के अन्तर्गत पशुधन प्रसार अधिकारी (सीधी भर्ती)** व **पशुधन प्रसार अधिकारी (विभागीय) (पद कोड–343/646/51/2024)** एवं रेशम विकास विभाग के अन्तर्गत **अधिदर्शक/प्रदर्शक (रेशम) (पद कोड– 022/658/51/2024)** तथा **निरीक्षक रेशम (पद कोड–331/658/51/2024)** के पदों पर भर्ती हेतु दिनांक 11 फरवरी, 2024 को लिखित प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की गई।

उक्तानुसार लिखित परीक्षा के आधार पर अभिलेख सत्यापन हेतु औपबन्धिक श्रेष्ठता सूची आयोग की वेबसाइट पर दिनांक 01 मार्च, 2024 को प्रकाशित की गई।

तद्नुसार औपबंधिक श्रेष्ठता सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों का श्रेणीवार अभिलेख सत्यापन आयोग कार्यालय में निम्नानुसार तालिका में इंगित तिथियों में किया जायेगा–

क्रं0 सं0	पद नाम	पद कोड	अभिलेख सत्यापन हेतु निर्धारित तिथि		
			Category	Serial Number	सत्यापन तिथि
1.	पशुधन प्रसार अधिकारी (प्रतिशत सीधी भर्ती एवं विभागीय कार्मिकों हेतु),	343/646/51/2024,	GEN	1 से 65 तक	**08 अप्रैल, 2024 (सोमवार)**
			GEN	66 से 105 तक	**09 अप्रैल, 2024 (मंगलवार)**
2.	अधिदर्शक/प्रदर्शक (रेशम),	022/658/51/2024	EWS	106 से 122 तक	
			OBC	123 से 130 तक	
3.	निरीक्षक रेशम	331/658/51/2024	OBC	131 से 146 तक	**10 अप्रैल, 2024 (बुद्धवार)**
			SC	147 से 188 तक	
			ST	189 से 196 तक	

अतः औपबन्धिक रूप से चयनित समस्त अभ्यर्थियों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि :–

1. जारी श्रेष्ठता सूची के अनुसार अभिलेख सत्यापन की नियत तिथि को अभ्यर्थी द्वारा अपने समस्त मूल अभिलेखों सहित, जो अभ्यर्थी के द्वारा विज्ञापित पद हेतु निर्धारित शैक्षिक अर्हता के अनुरूप आवेदन पत्र में शैक्षिक अर्हता व अन्य प्रमाण पत्र अंकित किए गये, की स्वप्रमाणित दो–दो प्रतियाँ (अलग–अलग) **व 06 पासपोर्ट आकार की फोटोग्राफ** के साथ **निर्धारित तिथियों** को **प्रातः 9.30 बजे आयोग कार्यालय** में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।
2. ध्यान दें कि शैक्षिक योग्यता अर्हता के अन्तर्गत अभ्यर्थी की हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट/ स्नातक/ स्नातकोत्तर की समस्त वर्षों/समस्त सैमस्टर सहित अंक तालिकायें व प्रमाण पत्र एवं स्नातक/स्नातकोत्तर की उपाधि व आरक्षण एवं स्थाई निवास से संबंधी प्रमाण पत्रों के मूल अभिलेखों सहित नियत तिथि को उपस्थित होना अनिवार्य है।
3. **आरक्षण का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों को विज्ञापन की अन्तिम तिथि तक का वैध प्रमाण पत्र, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो,** को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
4. अभ्यर्थी के नाम/पिता के नाम में विभिन्न प्रमाण पत्रों में साम्य न हो तो उक्त के सम्बन्ध में शपथ पत्र मूल रूप में एवं उसकी छाया प्रति लाना अनिवार्य है।

5. आयोग की वेबसाइट पर **संवाद संख्या–79 के साथ अभिलेख सत्यापन हेतु निर्धारित प्रारूप (चैकलिस्ट)** एवं **अभिलेख सत्यापन में उपस्थिति हेतु औपबन्धिक प्रवेशपत्र** संलग्न है। अभ्यर्थी उक्त प्रारूपों को डाउन लोड कर उसके अनुरूप समस्त संलग्नकों का विवरण दो–दो प्रतियों (अलग–अलग) में तैयार कर निर्धारित तिथि को यथा समय आयोग कार्यालय में उपस्थित होंगे।

6. अभिलेख सत्यापन हेतु निर्धारित तिथियों में अभ्यर्थियों की उपस्थिति नितान्त रूप से अनिवार्य है तथा निर्धारित तिथि में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। निर्धारित तिथि को उपस्थित न होने के संबंध मे यदि कोई गंभीर कारण हों तो उस संबंध में अभ्यर्थी साक्ष्य के साथ अपने अभिलेख सत्यापन हेतु निर्धारित तिथि से आगामी 07 दिनों की अवधि में आवश्यक रूप से अभिलेख सत्यापन में उपस्थित हो सकते हैं। इसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी के अभिलेख सत्यापन के लिए कोई अन्य तिथि निर्धारित नहीं की जायेगी।

7. यदि अभिलेख सत्यापन की निर्धारित तिथि को अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में किये गये दावे के अनुरूप सही अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थियों को वांछित अभिलेख आयोग कार्यालय में जमा किये जाने हेतु अधिकतम 07 दिन का समय प्रदान किया जायेगा। यदि अतिरिक्त 07 दिन की अवधि में भी अभ्यर्थी द्वारा अभिलेख आयोग कार्यालय में जमा नहीं किया जाता है तो उनका अंतिम चयन परिणाम हेतु विचार नहीं किया जायेगा।

8. आयोग परिसर में मोबाईल फोन, कैमरा तथा अन्य इलैक्ट्रानिक उपकरण लाना निषिद्ध है।

(सुरेन्द्र सिंह रावत)
सचिव